WEB COPY NOT OFFICIAL

न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल, जिला जालोर।

पीठासीन अधिकारी : महेन्द्र कुमार टॉक, आर.जे.एस.
(UID No. RJ 865)

आठ वर्ष से अधिक अवधि पुराना प्रकरण।

निर्णय दिनांक : 27.03.2026
फौज. मूल प्र.सं. : 410/2017
सी.आई.एस. नंबर : 210/2017
सी.एन.आर. नंबर : RJJL060002912017
प्रथम सूचना रि.सं. : 39/2017
अन्तर्गत धारा : 279, 304ए, 337 भा.द.स. 3/181 एमवी एक्ट
पुलिस थाना : भीनमाल।

अभियोगी :–

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी, भीनमाल

—— **उपस्थित :–** अभियोजन अधिकारी।

ब ना म

अभियुक्तगण :–

01. कृष्ण कुमार पुत्र श्री चैनाराम, उम्र 41 वर्ष,

02. चैनाराम पुत्र श्री मोतीराम, उम्र 66 वर्ष, निवासीगण कोड़ी, पुलिस थाना भीनमाल, जिला जालोर।

—— **उपस्थित :–** श्री कुलदीप सिंह, श्री जितेन्द्र सिंह, श्री गोपालसिंह विद्वान अधिवक्तागण।

—:: प्रकरण का संक्षिप्त विवरण ::—

अपराध की तिथि	29.01.2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	29.01.2017
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	10.05.2017
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	13.08.2018
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	26.11.2018
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	23.03.2026

WEB COPY NOT OFFICIAL

निर्णय की तिथि	27.03.2026
दण्ड दिये जाने की तिथि (यदि हो तो)	——

—:: अभियुक्त का विवरण ::—

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा—428 द0प्र0सं0 के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि
01.	कृष्ण कुमार	——	10.05.17	279, 337, 304ए भादस व 3/181 एमवी एक्ट	दोषमुक्त	——	——
02.	चैनाराम	——	10.05.17	3/181 एमवी एक्ट	,,	——	——

—:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची ::—

क. अभियोजन

साक्षी का कम	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
पी.डब्ल्यू. 01.	श्री जबरसिंह	फर्द साक्षी
पी.डब्ल्यू. 02.	श्री ताराराम	फर्द साक्षी
पी.डब्ल्यू. 03.	श्री संजय	घटना का साक्षी
पी.डब्ल्यू. 04.	श्री आमसिंह	आहत/फरियादी साक्षी
पी.डब्ल्यू. 05.	श्री शंभूसिंह	वाहन स्वामी साक्षी
पी.डब्ल्यू. 06.	श्री वरधाराम	घटना का साक्षी
पी.डब्ल्यू. 07.	श्री हरचंदराम	पक्षद्रोही साक्षी
पी.डब्ल्यू. 08.	डॉ. जुगमल	चिकित्सीय साक्षी
पी.डब्ल्यू. 09.	श्री फगलूराम	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू. 10.	डॉ महेश कुमार	चिकित्सीय साक्षी

ख. बचाव

साक्षी का कम	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**

WEB COPY NOT OFFICIAL

——	——	——

—:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची ::—

क. अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श पी. संख्या
01.	फर्द नक्शा मौका	01.
02.	फर्द जब्ती मोटरसाईकिल सं. एमएच 02 डीएम 8906	02.
03.	फर्द जब्ती मोटरसाईकिल सं. आरजे 46 एससी 6221	03.
04.	फर्द सुरतहाल लाश मृतक श्री सुरेश कुमार	04.
05.	फर्द पंचनामा लाश मृतक श्री सुरेश कुमार	05.
06.	फर्द सुपुर्दगीनामा लाश मृतक श्री सुरेश कुमार	06.
07.	लिखित रिपोर्ट	07.
08.	पुलिस बयान गवाह श्री हरचंदराम	07.
09.	चोट प्रतिवेदन आहत श्री आंब सिंह	08.
10.	133 एमवी एक्ट नोटिस मय जवाब श्री शम्भूसिंह	09.
11.	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक श्री सुरेश कुमार	10.
12.	पर्चा चाक एफ.आई.आर.	11.
13.	फर्द सुरतहाल लाश मृतक श्री रामाराम	12.
14.	फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक श्री रामाराम	13.
15.	फर्द पंचनामा लाश मृतक श्री रामाराम	14.
16.	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक श्री रामाराम	15.
17.	चोट प्रतिवेदन आहत श्री संजय	16.
18.	चोट प्रतिवेदन आहत श्री वरदाराम	17.
19.	चोट प्रतिवेदन आहत श्री हरचंद	18.
20.	एमटीओ रिपोर्ट वाहन मोटरसाईकिल	19.
21.	133 एमवी एक्ट नोटिस मय जवाब श्री चैनाराम	20.
22.	वरदाराम द्वारा एक्स–रे नहीं करवाने का पत्र	21.
23.	घटना की रिपोर्ट श्री संजय	22.
24.	सीटी स्केन नहीं करवाने बाबत रिपोर्ट आंब सिंह	23.
	(सहवन से प्रदर्श पी. 07 दो दस्तावेजात पर अंकित हुए।)	

WEB COPY NOT OFFICIAL

ख. बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी. संख्या
01.	पुलिस बयान गवाह श्री आमसिंह	01.

—: निर्णय :—

दिनांक:— 27.03.2026

01. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी आंबसिंह ने एक लिखित रिपोर्ट थानाधिकारी, पुलिस थाना भीनमाल में इस आशय की पेश की कि मैं व सुरेश कुमार पुत्र दरगाराम, निवासी नरसाणा दोनों मेरी मोटरसाईकिल नं. एम एच 02 डीएम 7806 पर बैठकर भीनमाल घरेलु काम से आये थे। मैं व सुरेश काम निपटाकर घर के लिए रवाना हुए थे। हम ज्योंही जुंजाणी सरहद में जोड़ में पहुंचे थे, मैं मेरी साईड में चल रहा था। वक्त करीब 04.00 पी.एम. पर सामने से एक मोटरसाईकिल सीडी डिलक्स नं. आरजे 46 एससी 6221 का चालक मोटरसाईकिल को तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ आया मोटरसाईकिल पर तीन व्यक्ति बैठे थे। आये व मेरी मोटरसाईकिल के टक्कर मारी, जिससे हम चोट ग्रसित होकर गिर गये व मेरे शरीर पर चोटे आयी व सुरेश कुमार के पेट के व सिर में चोट आयी। जिसको अस्पताल लेकर आये व सुरेश कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। फिर पता चला कि सामने वाली मोटरसाईकिल नं. आरजे 46 एससी 6221 का चालक कृष्ण मेघवाल निवासी कोडी था, उस मोटरसाईकिल पर कृष्ण के अलावा दो अन्य व्यक्तियों की काफी चोटे आयी हैं। मेरी मोटर साईकिल मैं चला रहा था। रिपोर्ट पेश करता हूं कानुनी कार्यवाही करावें। इत्यादी इत्यादी।

02. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना भीनमाल द्वारा अभियोग संख्या 39 दिनांक 29.01.2017 अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भा.द.स. में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद पूर्ण अनुसंधान अभियुक्त कृष्ण कुमार के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भा.द.स. व 3/181 एमवी एक्ट व अभियुक्त

WEB COPY NOT OFFICIAL

चैनाराम के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 5/180 एमवी एक्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया। नियमानुसार अभियुक्तगण को आरोप पत्र की नकलें प्रदान की गई।

03. न्यायालय द्वारा अभियुक्त कृष्ण कुमार को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भादस व 3/181 एम.वी. एक्ट व अभियुक्त चैनाराम के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 5/180 एमवी एक्ट को आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप से अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। दौराने विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहों को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। अभियोजन साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्त के बयान तहत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये। जिसमें उसने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताते हुए झूठा फंसाये जाने के कथन किए हैं। साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा। किन्तु, उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर प्रदर्शित करवाई गई।

04. बहस अंतिम विद्वान उभय पक्ष की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

इसके विपरीत अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन अधिकारी के तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया वक्त दुर्घटना वाहन अभियुक्त कृष्ण कुमार द्वारा चलाया जा रहा हों, इस सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं। स्वयं आम्बसिंह द्वारा पुलिस वालों व परिवारवालों के कहने से वाहन कृष्ण कुमार द्वारा वाहन चलाए जाने का कथन किया गया हैं। वाहन रामाराम द्वारा चलाया जा रहा

WEB COPY NOT OFFICIAL

था। यदि कृष्ण कुमार द्वारा वाहन चलाया जाता तो अवश्य ही दुर्घटना के फलस्वरूप उसके चोटें कारित होती। गवाह संजय द्वारा कृष्ण भी पीछे बैठे जाने का कथन किया गया हैं। दुर्घटना अभियुक्त कृष्ण कुमार द्वारा कारित की गई हों, संदेहास्पद हैं। गवाहों के कथनों में विरोधाभास है। इस प्रकार संपूर्ण अभियोजन मामला संदेहास्पद होने से अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जाये।

<u>अवधार्य बिन्दु :–</u>

05. बहस अंतिम विद्वान उभय पक्ष की सुनी गई। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु है :–

01. अभियुक्त कृष्ण कुमार द्वारा दिनांक 29.01.2017 को सांय करीब 4.00 बजे सरहद जुंजानी जोड़ में मोटरसाईकिल नंबर आरजे 46 एस.सी. 6221 को बिना वैध चालक अनुज्ञा–पत्र उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण ढंग से लोक मार्ग पर चलाकर मानव जीवन संकटापन कर फरियादी आम्बसिंह के मोटरसाईकिल नंबर एम.एच 2डीएम 7906 के सामने से टक्कर मारी, जिससे परिवादी आम्बसिंह के साधारण चोटे कारित हुई तथा उसकी मोटरसाईकिल पर पीछे सवार सुरेशकुमार की चोटें कारित हुई व दौराने इलाज मृत्यू कारित हुई ?

02. अभियुक्त चैनाराम द्वारा दिनांक 29.01.2017 को सांय करीब 4.00 बजे स्वयं के नाम पंजीकृत स्वामित्व की मोटरसाईकिल नंबर आरजे 46 एस.सी. 6221 को चालक कृष्णकुमार के पास वाहन चलाने का बिना वैध चालक अनुज्ञा–पत्र नहीं होने के बावजूद उसे चलाने हेतु अधिकृत किया ?

<u>अवधार्य बिन्दु का विनिश्चिय :–</u>

06. अभियोजन के विरूद्ध में व अभियुक्तगण के पक्ष में किया जाता हैं।

WEB COPY NOT OFFICIAL

विनिश्चिय के कारण :–

07. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जो संपूर्ण मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसके समग्र अवलोकन से अभियोजन पक्ष का महत्वपूर्ण गवाह पी.डब्ल्यू. 04 आमसिंह है। जिसके द्वारा स्वयं व सुरेश कुमार मोटरसाईकिल से भीनमाल जाने व जुंजाणी पहुंचने पर बाइक आरजे 46 एससी 6221 के चालक द्वारा लापरवाही से चलाकर आने, बाइक के टक्कर मारने, बाइक पर तीन सवार होने, सुरेश कुमार व स्वयं के चोट कारित होना, सुरेश कुमार को अस्पताल ले जाने पर मृत्यु होने का कथन किया। गवाह द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी. 07 होने, नक्शा मोका प्रदर्श पी. 01 मुर्तिब किए जाने, नक्शा मौका प्रदर्श पी. 02 होने का व स्वयं की डॉक्टरी प्रदर्श पी. 08 होने का कथन किया गया।

अभियुक्त पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया कि मैंने घटनास्थल पर घायल व्यक्तियों को नहीं देखा। मैं घायल व्यक्तियों में से किसी को पहचानता नहीं था, न ही उससे पूर्व में उसे मिला हुआ था। सुरेश कुमार को अवश्य पहचानता था। रिपोर्ट प्रदर्श पी. 07 मैंने नहीं लिखी, न मेरी लिखावट है। रिपोर्ट पुलिस ने लिखी है। मैं अस्पताल में चार दिन भर्ती रहा जो भूपेंद्र अस्पताल में है। मुझे बाद में सामने वाले मोटरसाईकिल के ड्राईवर का नाम पुलिस वालों व घर वालें से मालूम हुआ। मैं आज भी सामने वाले मोटरसाईकिल के चालक को नहीं पहचान सकता। यह सही है कि सामने वाले मोटरसाईकिल का चालक रामाराम था, वह नशे में धुत था। मैंने पुलिस व परिवार वालों के अलावा किसी अन्य से मोटरसाईकिल के चालक के नाम की जानकारी नहीं हुई है। उस समय उसे चालक का नाम कृष्ण कुमार मालूम था, जो पुलिस वालों व परिवार के सदस्यों ने बताया था। पुलिस वालों ने चालक का नाम सरकारी अस्पताल में बताया था। यह सही है कि मैंने पुलिस वालों के कहने से कृष्ण कुमार का नाम बताया है। इसके अलावा परिवारजनों के कहने से मैंने कृष्ण कुमार का नाम बताया। दिनांक 30.01.17 को मैं अस्पताल में भर्ती था। मौके पर नहीं था।

WEB COPY NOT OFFICIAL

08. अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 03 संजय हैं। जिसके द्वारा कृष्ण कुमार व रामाराम मोटरसाईकिल पर भीनमाल आने, दुकान पर शराब पीने व मोटरसाईकिल कृष्ण कुमार चलाने व जुंजाणी गए, तब कृष्ण कुमार मोटरसाईकिल को लापरवाही से चला रहा था, एक्सीडेंट कहां हुआ, कैसे हुआ शराब के नशे के कारण मुझे ध्यान नहीं, मोटरसाईकिल से एक्सीडेंट हुआ मैं बहोश हो गया था। कृष्ण कुमार के मोटरसाईकिल के नंबर 7086 है।

अभियुक्त पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया कि मैं भी शराब के नशे में था। मोटरसाईकिल कृष्ण कुमार की थी। यह कहना गलत है कि एक्सीडेंट के समय मोटरसाईकिल रामाराम चला रहा था, अजखुद कहा कि कृष्ण कुमार चला रहा था। मैंने पी रखी थी इसलिए रामाराम चला रहा था, मैं पीछे बैठा इसलिए बच गया, कृष्ण भी पीछे बैठा था इसलिए बच गया।

09. अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 06 वरधाराम है। जिसके द्वारा कथन किया कि मैं और मेरा लड़का हरचंद बाइक लेकर भीनमाल जा रहे थे। जोड़ पर पहुंचे तो मोटरसाईकिल भीनमाल की तरफ से आ रहा था और हमारे पीछे की ओर से जुंजाणी से आ रहा था। जो मोटरसाईकिल भीनमाल की ओर से आ रहा था उस पर तीन लोग सवार थे। जुंजाणी से आने वाले बाइक चालक लापरवाही से चला रहा था। भीनमाल से आने वाले चालक धीरे–धीरे चला रहा था।

अभियुक्त पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया कि पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ अस्पताल में 1–2 दिन इलाज के लिए रहे तब की थी। मेरे दुर्घटनास्थल से गुजरने के बाद घटना कारित हुई, कैसे हुई मैं नहीं बता सकता। पुलिस वालों ने मुझसे किसी मुलजिम की पहचान नहीं करवाई। आज दिन भी मैं मुलजिम को नहीं पहचान सकता।

10. अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 02 ताराराम है। जो फर्द सुपुर्दगी लाश, फर्द पंचनामा लाश व फर्द सूरत हाल लाश मृतक सुरेश कुमार प्रदर्श पी. 04 से 06 का गवाह है। जिन पर स्वयं के हस्ताक्षर होने का कथन किया गया।

WEB COPY NOT OFFICIAL

हस्तगत प्रकरण में औपचारिक प्रकृति का गवाह है। अभियोजन पक्षका गवाह पी. डब्ल्यू. 07 हरचंदराम द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किए जाने से गवाह को अभियोजन पक्ष की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया गया। गवाह द्वारा अभियोजन सुझाव में स्वयं के पुलिस बयान दिए जाने से इन्कार किया गया।

11. अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 05 शंभूसिंह है। जो मोटरसाईकिल एमएच 04 सीबी 7806 का पंजीकृत स्वामी है। जिसके द्वारा धारा 133 एम वी एक्ट का नोटिस प्राप्त होने व जवाब प्रदर्श पी. 9 होने का कथन किया गया। जिस पर स्वयं के हस्ताक्षर होने का कथन किया गया। अभियुक्त पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया कि प्रदर्श पी. 09 नोटिस पर केवल मेरे हस्ताक्षर है। सी से डी इबारत मैंने नहीं लिखी, किसने लिखी मुझे पता नहीं।

12. अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 08 डॉक्टर जुगमल हैं। जिसके द्वारा मृतक वालाराम का पोस्टमार्टम किए जाने का कथन किया गया। जो हस्तगत प्रकरण में औपचारिक प्रकृति का गवाह है। वहीं अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 10 डॉ. महेश कुमार है। जिसके द्वारा आहत ओबसिंह का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 08 तैयार किए जाने, आहत संजय का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 16 तैयार किए जाने, वरधाराम का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 17 तैयार किए जाने, हरचंदराम पुत्र वरधाराम का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 18 तैयार किए जाने का कथन किया गया। गवाह द्वारा चोटे साधारण प्रकृति की होने का कथन किया गया। अभियुक्त पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया कि यदि कोई व्यक्ति तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए गिर जाए तो सड़क के किनारे पत्थर से चोट लगे तो चलाने वालों व पीछे बैठे लोगों को उपरोक्त आईआर में वर्णित चोट आना संभव है।

13. अभियोजन पक्ष का अंतिम गवाह पी.डब्ल्यू. 09 फगलूराम है। जिसके द्वारा रोड़ दुर्घटना की सूचना मिलने पर थानाधिकारी द्वारा मौके पर भेजे जाने, ओबसिंह द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने, मृतक सुरेश कुमार की फर्द सुरत हाल लाश, पंचनामा लाश व फर्द सुपुर्दगी लाश मुर्तिब किए जाने, बाद

WEB COPY NOT OFFICIAL

कार्यवाही थाने पहुंचने, प्रकरण दर्ज किए जाने, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी. 11 होने, प्रकरण अनुसंधान हेतु स्वयं के हवाले किए जाने, रामाराम की फर्द सुरतहाल लाश, फर्द पंचनामा, फर्द सुपुर्दगीनामा लाश मुर्तिब की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली किए जाने, आहत संजय, वरधाराम, हरचंद व आमसिंह का चोट प्रतिवेदन प्राप्त कर शामिल पत्रावली किए जाने, फर्द जब्ती मोटरसाईकिल प्रदर्श पी. 02 व 03 किए जाने, वाहनों का एमटीओ प्रदर्श पी. 19 होने, वाहन स्वामी शंभूसिंह व चैनाराम को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त किए जाने गवाहों के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए जाने व बाद अनुसंधान अभियुक्त कृष्ण कुमार व चैनाराम के विरुद्ध आरोपित धाराओं में आरोप–पत्र प्रस्तुत किए जाने का कथन किया गया।

अभियुक्त पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि एफआईआर में सी डी डिलक्स मोटरसाईकिल कौन चला रहा था, इस बाबत एफआईआर में शुरू में नाम नहीं आया। यह सही है कि प्रदर्श पी. 07 में सी से डी भाग में फिर पता चला कि मोटरसाईकिल कृष्ण कुमार चला रहा था ऐसा परिवादी ने एफआईआर में लिखवाया है। यह सही है कि परिवादी ने एफआईआर में यह अंकित नहीं किया कि मैंने कृष्ण कुमार का नाम किसके बताने से पता चला। परिवादी आमसिंह कृष्ण कुमार को नहीं जानता है। मैंने ऐसे किसी गवाह के बयान नहीं लिए जिसने वाहन चालक का नाम कृष्ण कुमार बताया हो। यह सही है कि मैंने कृष्ण कुमार की शिनाख्तगी परेड किसी गवाह ने नहीं करवाई थी।

14. अभियोजन पक्ष की ओर से जो संपूर्ण दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई उसके समग्र अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में वाहन मोटरसाईकिल संख्या एम.एच. 02 डीएम 7808 व मोटरसाईकिल संख्या आरजे 46 एससी 6221 के मध्य दुर्घटना कारित होना हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनों वाहनों की मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट व अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से साबित हैं। जहां तक हस्तगत प्रकरण में की दुर्घटना अभियुक्त कृष्ण कुमार के वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे 46 एससी 6221 के तेज गति व

WEB COPY NOT OFFICIAL

लापरवाहीपूर्वक चलाने के फलस्वरूप हुई हों, इस सम्बन्ध में हस्तगत प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाह आहत आम्बसिंह है। जिसके द्वारा घटना की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा मोटरसाईकिल चालक कृष्ण कुमार होना लिखित रिपोर्ट में वर्णित किया गया। जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया कि उस समय उसे चालक का नाम कृष्ण कुमार मालूम था, जो पुलिस वालों और परिवार के सदस्यों ने बताया था। पुलिस वालों ने उसे चालक का नाम अस्पताल में बताया था। किस पुलिस वालों ने उसे चालक का नाम बताया था, उसे याद नहीं। मैंने उस पुलिस वाले के कहने से कृष्ण कुमार नाम बताया है। इसके अलावा परिवारजनों के कहने से मैंने कृष्ण कुमार नाम बताया हे। इसके साथ ही अन्य आहत संजय द्वारा अपनी जिरह में यह स्वीकार किया कि मैंने पी रखी थी, इसलिए रामाराम चला रहा था, मुझे पता नहीं। मैं पीछे बैठा था इसलिए बच गया। कृष्ण भी पीछे बैठा था, इसलिए बच गया। उक्त दोनों ही गवाहों की साक्ष्य से साबित होता है कि वक्त दुर्घ्झटना वाहन मोटरसाईकिल आरजे 46 एससी 6221 को अभियुक्त कृष्ण कुमार द्वारा ही चलाए जाना संदेहास्पद होता है। न्यायालय के विनम्र मत में यदि कृष्ण कुमार द्वारा हस्तगत प्रकरण में कि मोटरसाईकिल दुर्घटना कारित करने वाली चलाई जाती तो अवश्य ही आमने–सामने की मोटरसाईकिल की टक्कर में कृष्ण कुमार के किसी न किसी प्रकार की चोट अवश्य कारित होती। उस दशा में जबकि वाहन दुर्घटना के फलस्वरूप दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाईकिल पर सवार सुरेश कुमार व वालाराम की मृत्यु कारित हुई हो और फरियादी आम्बसिंह के चोट कारित हुई हो। इसके साथ ही हस्तगत प्रकरण में की मोटरसाईकिल दुर्घटना के फलस्वरूप संजय, वरधाराम व हरचंद के चोट आना भी उनके चोट प्रतिवेदन से साबित है। न्यायालय के विनम्र मत में यदि वाहन चालक कृष्ण कुमार होता तो उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप अवश्य ही किसी न किसी प्रकार की चोट मोटरसाईकिल चालक कृष्ण कुमार को भी कारित होती। जिसका की हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया अभाव हैं। जिससे भी अभियोजन मामले में संदेह उत्पन्न होता हैं कि वक्त दुर्घटना वाहन अभियुक्त कृष्ण कुमार द्वारा ही चलाया जा रहा हों। दुर्घटना कारित करने वाले वाहन पर संजय, कृष्ण कृमार व वालाराम सवार थे। दुघ ्रटना के फलस्वरूप वालाराम की मृत्यु होना गवाह डॉ. जुगमल द्वारा कथन किया

WEB COPY NOT OFFICIAL

गया है तथा वालाराम के शरीर पर चोट आना उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सी से डी भाग में वर्णित है अर्थात् घटना के फलस्वरूप वालाराम के अधिक चोट कारित हुई। संजय व कृष्ण कुमार पीछे बैठे होने से संजय के चोट कारित हुई व कृष्ण कुमार के किसी प्रकार की चोट कारित ही नहीं हुई। जिससे भी वाहन अभियुक्त कृष्ण कुमार द्वारा चलाया जाना संदेहास्पद होता हैं।

15. अभियोजन पक्ष अभियुक्त कृष्ण कुमार द्वारा वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे 46 एससी 6221 को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर प्रकरण में की दुघ्टना कारित किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा हैं। न्यायालय के विनम्र मत में वाहन अभियुक्त द्वारा चलाया जाना ही संदेहास्पद हो जाने से अभियुक्त कृष्ण कुमार के पास वक्त दुर्घटना वाहन चालन का वैध अनुज्ञा पत्र नहीं होना व वाहन के पंजीकृत स्वामी चैनाराम द्वारा उक्त तथ्य को जानते हुए वाहन को चलाने के लिए अभियुक्त कृष्ण कुमार को प्रदान किया जाना भी संदेहास्पद हो जाता हैं। ऐसी दशा में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसरण में अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्तगण के विरुद्ध साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण कृष्ण कुमार व चैनाराम को आरोपित अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

—: आदेश :—

16. परिणामस्वरूप अभियुक्त **01.** कृष्ण कुमार पुत्र श्री चैनाराम, उम्र 41 वर्ष, निवासी कोड़ी, पुलिस थाना भीनमाल, जिला जालोर, को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/181 एम.वी. एक्ट में व अभियुक्त **02.** चैनाराम पुत्र श्री मोतीराम, उम्र 66 वर्ष, निवासी कोड़ी, पुलिस थाना भीनमाल, जिला जालोर, के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 5/180 एम.वी. एक्ट में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। इसके साथ ही धारा

WEB COPY NOT OFFICIAL

437 ए के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब करने पर अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पांच हजार रूपये की जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे 46 एससी 6221 व मोटरसाईकिल संख्या एमएच 02 डीएम 7806 को पूर्व में सुपुर्दगीदार को सुपुर्द किए जा चुके है, जो वाहन सुपुर्दगीदार के पास ही रहेंगे एवं संबंधित सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा अपील की समयावधि समाप्त होने के पश्चात् स्वतः निरस्त समझे जावे अथवा अपील होने के स्थिति में अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे। प्रकरण मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित होने से हस्तगत प्रकरण में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के प्रावधान आकृष्ट नहीं होने से किसी पीड़ित को प्रतिकर दिलाए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती हैं।

(महेन्द्र कुमार टॉक)
(UID No. RJ 865)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल, जालोर (राज.)।

17. निर्णय आज दिनांक 27 मार्च, 2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

JAYDEEP BISHNOI
AUTHENTICATED DOCUMENT
Digitally signed by JAYDEEP BISHNOI
Date: 2026.03.27 15:06:27 +0530

(महेन्द्र कुमार टॉक)
(UID No. RJ 865)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल, जालोर (राज.)।